अधिशासी अभियन्ता
दि0 03/09/2020
पत्रांक 2182
सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी.एस.वाई., सिं.खं.)
रुद्रप्रयाग

ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :– 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 514 / 12-1(2) दिनांक 27/8/2020::

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिंचाई खण्ड)
रुद्रप्रयाग।

विषय :– जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40174/2019

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ने उनकी पत्र संख्या–08 बी./यू.सी.पी./06/10/2020/एफ.सी./1029 दिनांक 25.08.2020 के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में जमा की जाने वाली धनराशियों का डिमांड नोट निम्न प्रकार प्रेषित है–

(1) शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तन भूमि के बदले 2.912 है0 ग्राम–जयकण्डी सिविल भूमि खसरा नं0–278 एवं 1369 मध्ये पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–972/3–5–2(II) दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित वसूली वर्ष–2020–21 के लिये निर्धारित दर 337184.00 के अनुसार रुपये 2.912 ha. @ 337184.00 = 981880.00 (नौ लाख, ईक्यासी हजार, आठ सौ अस्सी) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

(2) शर्त संख्या–2 के अनुपालन में ऑनलाईन भरे गये प्रपत्र–भाग–2 के अनुसार प्रशनगत क्षेत्र इको क्लास–V के अन्तर्गत है तथा हरियाली का घनत्व 0.30 है। तद्नुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0–सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार रुपये 1.501 ha. @ 657000.00/ha. = 986157.00 (नौ लाख, छियासी हजार, एक सौ सत्तावन) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार आंकलित की गई धनराशियों का अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून कार्यालय से सत्यापित होने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–8 के नियमानुसार उक्त आंकलित धनराशियों को जमा करना सुनिश्चित करें।

JE(T)

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– /दिनांकित।
प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।